नवदुनियाँ, भोपाल
3 JAN 2015

नए साल में राज्यों के लिए सौगात

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

परिवर्तन सृष्टि का अडिग और शाश्वत नियम है। प्रकृति कभी जड़ता की सीमा तक स्थायित्व को सहन नहीं करती। जो भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र परिवर्तनशील नहीं होता, उसका विकास रुक जाता है। विश्व में हो रहे बदलावों के संदर्भ में राष्ट्र के स्तर पर लगातार बदलाव होते रहना ही राष्ट्र के हित में होता है।

1 जनवरी 2015 की सुबह भारत ने सहकार व लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित विकास के नए युग में आंखें खोली हैं। यह युग प्रवर्तक परिवर्तन योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए 'नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' ('नीति आयोग') के रूप में आया है।

वर्ष 1952 में उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के चहुंमुखी विकास के लिए जिस योजना आयोग का गठन किया था, वह उस दौर की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में ठीक था। आजादी के बाद देश का जो विकास हुआ, उसमें आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विकास के नियोजन और योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन में योजना आयोग ने काफी हद तक अच्छा काम किया। लेकिन बीते कुछ दशकों में, विशेषकर 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद योजना आयोग के वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व की प्रासंगिकता लगातार खत्म होती चली गई। लोकतंत्र में विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं। यह बात लगातार महसूस की जा रही थी कि केंद्र में सत्ताधारी दल के राजनीतिक हितों के संवर्द्धन में आयोग के राज्यों के साथ राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह सहायक होने लगे थे। धनराशि के आवंटन में इसी कारण राज्यों के साथ भेदभाव की बात तीव्रता से महसूस की जा रही थी।

हमारे प्रधानमंत्री ने जो नीति आयोग बनाया है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्रियों को जगह दी गई है।

इसी के साथ-साथ योजना आयोग की कार्यप्रणाली में लोकतांत्रिक भावना का अभाव हो गया था। योजना निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली चर्चा रस्मी हो गई थी। योजनाएं केंद्र से बनाकर राज्यों को भेजी जा रही थीं। इनमें राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं का ध्यान नहीं रखा जाता था। इसी कारण योजनाओं का वांछित लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। मैं लगातार यह बात अनेक मंचों से कहता आ रहा हूं, जिस तरह हर मर्ज की एक दवा नहीं हो सकती, उसी तरह हर राज्य के लिए एक समान योजना नहीं हो सकती। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के विषय में यह बात ज्यादा लागू होती है।

नई सोच वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग बनाया है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका गठन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श कर और उनके सुझाव लेकर किया गया है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों को जगह मिली है। इससे राज्यों के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी।

नई व्यवस्था की एक और विशेषता यह है कि राज्यों के बीच उलझे हुए मुद्दों के समाधान के लिए इसमें क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। इसके कारण अब विकास में बाधक बनने वाले मुद्दों का तेजी से समाधान हो सकेगा और राज्य अपना विकास करते हुए राष्ट्र के विकास में भी अधिक सक्रियता व तत्परता से योगदान कर सकेंगे।

नई व्यवस्था में ग्राम स्तर पर योजनाएं तैयार करने की पहल बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में हमने यह काम पहले ही कर लिया है। प्रदेश के गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान ग्रामीणों के सुझाव, सहमति और भागीदारी से बनाए गए हैं। इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह खुशी की बात है कि नया आयोग पूरे देश में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इससे प्रत्येक गांव में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए उनका ज्यादा तेजी से विकास संभव हो सकेगा।